केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00133

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00435

अपीलकर्ता श्री महादेव दास

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.10.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	16.10.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	06.11.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल CPIO, (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.11.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	22.11.2024
निर्णय की तारीख	20.12.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.10.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारतीय डाक द्वारा दिनांक 14.09.2024 को भेजी जिसका प्रति पृष्ठ यह सूचना आवेदन के दूसरे भाग में है इसके विषय में विस्तृत सूचना उपलब्ध करने का कृपया करेंगे परन्तु अगर मांगी गयी कोई सूचना उक्त कार्यालय में नहीं है तब इसे सूचना अधिकार के नियमतः सूचना आवेदन को स्थांतरण कर संबंधित कार्यालयों से सूचना उपलब्ध कराने का कृपया करें कि:-

1.) वह निष्पादन पद्धति एवं नियमावली का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कृप्या करें जिसके तहत यह भेजी गयी शिकायत पत्र का निष्पादन किया गया है।

2.) भेजी गयी शिकायत पत्र का दैनिक रिपोर्ट का प्रति पृष्ट उपलब्ध करने का कृपया करें।

3.) स्वेच्छा से लोक कार्य करने के लिए संबंधित लोक सेवक को दिए गए आदेश अथवा प्राप्त अनुमति का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने के कृपया करें।

4.) वह आदेश अथवा नियमावली का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कृपया करें जिसमे आवेदक से प्राप्त पत्र को में उल्लेखित विषय में आवेदक को बिना अवगत कर ही पत्र का निष्पादन करना उल्लेखित है।

5.) वह नियमावली, आदेश अथवा अनुमति पत्र का प्रति पृष्ठ उपलब्ध करने का कष्ट करें जिसमे प्राप्त पत्रनुसार पत्र में उल्लेखित विषयनुसार कोई कदम नहीं उठाने के विषय में अनुमति अथवा आदेश उल्लेखित है।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 06.11.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -:

"आपका पत्र दिनांक 14.09.2024 से संबंधित पत्र को लिंक करके CIC (HS) रजिस्ट्री में भेज दिया गया है ।"

5. प्रथम अपील का आधार

"महाशय, अगर उल्लेखित विषय वास्तविकता के विपरीत है तब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह पत्र के माध्यम से प्रथम अपील और शिकायत को स्वीकारते हुये अविलम्ब मांगी गयी सूचनावेदनुसार सूचना उपलब्ध करें और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन नहीं कर इसका अवहेलना करने का दोषी संबंधित लोक सेवक को मानते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें क्योंकि लोक सेवक को स्वेच्छा से लोक कार्य करने का प्रावधान नहीं है।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00435 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (Dak Section) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00435 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट बिंदुवार सूचना प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 20.12.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :
1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(9) 20/12/24.

O/C

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
20 DEC 2024
D. No.......
Initials.......